छात्रसंघ चुनाव 2022–23

सेठ आरएल सहरिया राजकीय पीजी महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर

क्रमांक : मुचुअ / छात्रसंघ / सकाका / 2022 / 15 दिनांक : 1[illegible].08.2022

चुनाव संबंधी नियम एवं उपनियम

छात्रसंघ पदाधिकारियों एवं कक्षा प्रतिनिधियों के चुनाव दिनांक 26.08.2022 को निम्नलिखित पदों के लिए होंगे :–

1. अ. **छात्रसंघ**

अध्यक्ष	–	एक पद
उपाध्यक्ष	–	एक पद
महासचिव	–	एक पद
संयुक्त सचिव	–	एक पद

ब. **कक्षा प्रतिनिधि** (संलग्न प्रपत्र के अनुसार होंगे)

2. अ. **पात्रता** :– छात्रसंघ पदाधिकारियों के लिए छात्रसंघ संविधान के अनुसार पात्रता निम्न प्रकार होगी :–

- प्रत्याशी इस महाविद्यालय का नियमित एवं पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए। अध्यक्ष एवं महासचिव पद के लिए उम्मीदवार महाविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष में अथवा ऊपरी कक्षाओं में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी होना चाहिए तथा उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव पद हेतु महाविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष में अथवा ऊपरी कक्षाओं में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी होना चाहिए। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी केवल कक्षा प्रतिनिधि के लिए चुनाव लडेंगे। अन्य पदों के लिए नहीं।
- स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी जिस विश्वविद्यालय के सम्बद्धक महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, उन्होंने उसी विश्वविद्यालय से नियमित छात्र के रूप में अर्हकारी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो तभी वे छात्रसंघ के अध्यक्ष एवं महासचिव पदों पर चुनाव लडने योग्य माने जाएंगे।
- प्रत्याशी का सीनियर सैकण्डरी परीक्षा / स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा से लेकर गत परीक्षा तक कोई भी पेपर बकाया (ड्यू) नहीं होना चाहिए।
- किसी न्यायालय द्वारा प्रत्याशी पर आरोप निर्धारित नहीं किये गये हो।

छात्रसंघ चुनाव 2022–23

- महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनहीनता का दोषी सिद्ध न किया गया हो।
- प्रत्याशी की आयु नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि 22 अगस्त 2022 को 25 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- प्रोविजनल प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी छात्रसंघ चुनावों में प्रत्याशी नहीं होंगे। (वर्ष 2022 के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने के कारण आयुक्तालय के आदेशानुसार इस नियम शिथिलता प्रदान की गई है)
- कोई भी विद्यार्थी एक से अधिक पद के लिए प्रत्याशी नहीं होगा।

नोट :– 1. उपर्युक्त में से किसी भी तथ्य को छिपाने पर प्रत्याशी अपात्र माना जायेगा।

2. महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी छात्रसंघ पदाधिकारियों के प्रत्याशियों के लिए एक पद के एक ही उम्मीदवार हेतु प्रस्तावक या समर्थक हो सकेगा।

ब कक्षा प्रतिनिधियों के लिए पात्रता :–

- उसी कक्षा एवं वर्ग का विद्यार्थी प्रत्याशी हो सकेगा।
- प्रत्येक कक्षा से कम से कम एक कक्षा प्रतिनिधि अवश्य होगा। कक्षा प्रतिनिधि 40 विद्यार्थियों पर एक के अनुसार बनाये जायेंगे व न्यूनतम 30 विद्यार्थी अतिरिक्त होने पर ही दूसरा अथवा तीसरा प्रतिनिधि बनाया जायेगा।

- विद्यार्थी संख्या 01 से 69 तक – 01
- विद्यार्थी संख्या 70 से 109 तक – 02
- विद्यार्थी संख्या 110 व 110 से अधिक – 03

नोट :– 1. कक्षा प्रतिनिधि के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक उसी कक्षा एवं वर्ग का विद्यार्थी होगा।

2. कक्षा में विद्यार्थी संख्या 03 से कम होने पर प्रस्तावक एवं समर्थक की आवश्यकता नहीं है।

छात्रसंघ चुनाव 2022--23

स. जमानत राशि :–

छात्रसंघ पदाधिकारी के लिए 1000/– रू. तथा कक्षा प्रतिनिधि के लिए 200/– रू. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के साथ जमानत राशि जमा करानी होगी। यह राशि नाम वापस लेने पर उसी दिन तथा कुल वैध मतों का 10 प्रतिशत या अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को चुनाव के बाद लौटा दी जावेगी। कुल वैध मतों का 10 प्रतिशत से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

वोटर आईडी अति आवश्यक

छात्रसंघ चुनाव की प्रत्येक प्रक्रिया (नामांकन, नाम वापसी, मतदान एवं मतगणना) में भाग लेने हेतु वोटर आईडी साथ रखना अनिवार्य है। बिना वोटर आईडी के विद्यार्थी किसी भी चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

नामांकन पत्र प्रस्तुत करना

सभी पदाधिकारी एवं कक्षा प्रतिनिधियों हेतु नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 22.08.2022 (प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक) है। नामांकन पत्र नामांकन प्रस्तुत करने के स्थान पर उपलब्ध होगा, जिसका मूल्य रू. 50/– होगा। छात्रसंघ पदों के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ अपनी पात्रता की पुष्टि के लिए एक शपथ पत्र, एक परिचय पत्र (आधार कार्ड आदि) की प्रति एवं अंकतालिकाओं की प्रतियां (सैकण्डरी स्कूल परीक्षा तथा सीनियर सैकण्डरी परीक्षा/स्नातक प्रथम वर्ष से लेकर गत परीक्षा तक) प्रस्तुत करनी होगी। नामांकन संलग्न पत्र में वर्णित व्यवस्था के अनुसार दिनांक 22.08.2022 को 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक भरे जायेंगे।

नोट :– 1 उपर्युक्त नियम एवं उपनियम लिंगदोह समिति की सिफारिशो से किसी भी प्रकार से विमत नहीं होंगे।

2 आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 694, दिनांक 18.08.2022 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट पिटीशन संख्या 11682/2022 में दिनांक 18.08.2022 को पारित निर्णय की अनुपालना में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 17.08.2022 के अधिक्रम में जारी निर्देशों की अनुपालना की जायेगी।

प्राचार्य

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

E/a aa aaa/student election 2022-23/ 42